कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

(जलकल अनुभाग)

पत्रांकः– 3365 /2083 /जलकल/न0पा0प0फ0 (2025–26) दिनांकः– 17/11/2025

अतिअल्पकालीन ई–निविदा सूचना (तृतीय आमन्त्रण)

नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के जलकल अनुभाग में 15वां वित्त आयोग (Tied Grant) से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2024–25 की द्वितीय किस्त की धनराशि के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में गन्दे पानी की निकासी हेतु सम्पवेल/मडपम्प का निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 रजिस्टर्ड अनुभवी फर्मो से पृथक–पृथक ई–निविदाएं **दिनांक 20.11.2025 पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 27.11.2025** सांय 05:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जो **दिनांक 28.11.2025 को अपरान्ह 01:00 बजे खोली** जायेंगी। इच्छुक फर्म/ठेकेदार निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश की ई–प्रोक्योरमेन्ट http://etender.up.nic.in पर ऑनलाइन क्रय कर डाउनलोड एवं अपलोड कर सकते है। कार्य की नियम व शर्ते पूर्वत् रहेंगी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	आगणन धनराशि GST रहित	10 प्रतिशत धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य जी.एस.टी. सहित (Non-refundable)	कार्य की अवधि
1	वार्ड नं0 28, महाजरी में गन्दे पानी की निकासी हेतु सम्पवेल का निर्माण कार्य।	1310664.40	131070.00	2360.00	01 माह
2	वार्ड नं0 02, आवास विकास मोहल्ला खलील नगर में कर्बला के सामने मडपम्प का निर्माण कार्य।	1030257.04	103030.00	2360.00	01 माह

उपरोक्त ई–निविदा की नियम व शर्ते नगर पालिका परिषद, फतेहपुर की वेबसाइट http://nppfatehpur.com तथा http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा एवं वांछित अभिलेख स्कैन कर निविदा के साथ http://etender.up.nic.in पर अपलोड किये जाने होगे। नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को देखते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(रविन्द्र कुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

(राज कुमार मौर्य)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र ....राष्ट्रीय स्वरूप व न्यायाधीश........ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त निविदा सूचना अपने सम्मानित समाचार पत्र के अगले अंक में अधिकतम (120 sq.cm) स्थान पर प्रकाशित कराकर निर्धारित दर पर भुगतान हेतु दो प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
02. कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ज़िला पंचायत तथा न0पा0प0 फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
03. लेखाकार, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर।
04. अवर अभियन्ता (जल), नगर पालिका परिषद, फतेहपुर।
05. गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

(राज कुमार मौर्य)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

(जलकल अनुभाग)

ई–निविदा सूचना

कार्य की नियम व शर्ते

01. सभी निविदा प्रपत्रों के साथ प्रत्येक कार्य की निविदा शुल्क GST सहित (Non-refundable) ऑनलाइन आर० RTGS/NEFT के माध्यम से IDBI बैंक फतेहपुर की **खाता सं0–1060104000145473 शाखा फतेहपुर आई0एफ०एस०सी० कोड IBKL0001060** में जमा कर स्कैन प्रत्येक कार्यों के विवरण के साथ अपलोड करना होगा, एवं 10 प्रतिशत धरोहर/जमानत धनराशि प्रत्येक कार्य की अलग–अलग अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद फतेहपुर के नाम बन्धक कराकर स्कैन कॉपी ऑनलाइन FDR/TDR/NSC के रूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
02. ऑनलाइन निविदा डालने के लिए चरित्र व हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेबर रजिस्ट्रेशन फार्म, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन फार्म एवं 10 प्रतिशत धरोहर/जमानत धनराशि ऑनलाइन एवं FDR/TDR/NSC की कॉपी प्रत्येक कार्य की अलग–अलग संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा अवाश्यकता पड़ने पर मूल कॉपी विभाग में उपलब्ध कराना होगा।
03. 10 लाख से अधिक लागत के कार्यों में आगणन की 40 प्रतिशत धनराशि का पिछले 03 वित्तीय वर्षों में कराये गये सामान प्रकृति का कम से कम 01 कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
04. स्वीकृत आगणन दर से न्यूनतम/अधिक दर पर निविदा डालने वाले निविदादाता को न्यूनतम/अधिक दर पर कार्य/आपूर्ति करने का तकनीकि जस्टिफिकेशन साथ में संलग्न करना अनिवार्य है।
05. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी और न ही किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार होगा।
06. किसी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
07. ठेकेदार को आगणन के अनुसार कार्य करना होगा। कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त कर फर्म/ठेकेदार द्वारा जमानत धनराशि को जब्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
08. आपराधिक रिकॉर्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
09. किसी भी राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत व्यक्ति निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा
10. यह कि स्वीकृत कार्या के तीन चरण की फोटोग्राफी प्रथम–कार्य प्रारम्भ होने के पहले, द्वितीय–कार्य चलते समय एवं तृतीय–कार्य समाप्त होने के पश्चात एक ही स्थल का देना अनिवार्य होगा।
11. शासनादेश सं0:–1319/नौ–9–21–45ज/21 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांकरू–30 जून 2021 द्वारा जारी नगर पालिका परिषद/विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
12. नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से देय होगी।
13. सर्वाधिकार नगर पालिका परिषद, फतेहपुर में सुरक्षित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मा0 जनपद न्यायालय फतेहपुर का होगा।

अवर अभियन्ता (जल)
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर

Scanned with CamScanner